



झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

आवंटन पत्र

प्रेषक,

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

सेवा में,

श्री / श्रीमती
पुत्र / पत्नी
निवासी-

पत्रांक /जे.डी.ए./ट्रांस0न0यो0(फेज-1)2025-26

दिनांक: / / 2025

विषय:- ट्रांसपोर्ट नगर योजना, फेज-1 ग्राम-करारी जनपद-झाँसी में दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

ट्रांसपोर्ट नगर योजना फेज-1, झाँसी के अन्तर्गत दुकानों को क्रय करने हेतु, नगद भुगतान पर आपके द्वारा रु. नगद जमा कर आवेदन किया गया था। आपका प्रार्थना पत्र प्राधिकरण कार्यालय में पंजीकरण संख्या पर पंजीकृत है।

दिनांक- को सम्पन्न हुए ई-लाटरी में आपके पक्ष में दुकान संख्या-आवंटित किया गया है। दुकान का अनुमानित मूल्य मानक माप के अनुसार रु0.....है। आपको उक्त दुकान की निम्न विवरण के अनुसार झाँसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में खाता संख्याHDFC शाखा- सिविल लाईन, झाँसी में जमा करनी होगी :-

क्र.सं.	विवरण	धनराशि (रु0)	देय तिथि
1-	क- भूमि मूल्य ख- आवेदन धनराशि ग- अवशेष धनराशि (A-B) घ- 5 प्रतिशत छूट (नगद पर) अवशेष देय धनराशि (C-D)		तक जमा की जाये

शर्तें:-

- अन्तिम रूप से देय धनराशि रजिस्ट्री के पूर्व जमा करनी होगी। समय पर धनराशि जमा न करने की स्थिति में डिफाल्ट अवधि में 13 प्रतिशत साधारण ब्याज के अतिरिक्त 03 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा। आवंटन निरस्तीकरण की दशा में प्राधिकरण में जमा धनराशि से 10 प्रतिशत कटौती कर ली जायेगी एवं अवशेष राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- दुकानों का आकार घट-बढ़ सकता है जिस पर आवंटी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। एवं चिन्हांकन के दौरान दुकानों की भौतिक स्थिति आंशिक/पूण रूप से परिवर्तित हो सकती है दुकानों की मौके पर माप के अनुसार ही भुगतान देय होगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण पंच निर्णय हेतु उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण को संदर्भित किया जायेगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा जो उभय पक्षों पर मान्य होगा।
- पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये नियम व शर्तें उभयपक्षों पर मान्य एवं बाध्यकारी होगी।

सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

